57

न्यायालय – राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1587–।।।/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–2–2011 पारित द्वारा अपर आयक्त सागर, संभाग सागर प्रकरण कमांक 289 अ/68×2010–11

रमेश गंगेले पुत्र श्री रामदीन गंगेले

ग्राम व पोस्ट फुटेर चक–2 तहसील

खरगापुर, जिला टीकमगढ (म.प्र.) .....आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन .....अनावेदक

(आवेदक की ओर से श्री आर.एस.सेंगर अभिभाषक)
(अनावेदक की ओर से शासकीय पैनल अभिभाषक)

:: आदेश ::

(आज दिनांक 7–2–2017 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त सागर, संभाग सागर के प्रकरण कमांक 289 अ/68×2010–11 में पारित आदेश दिनांक 23–2–2011 से परिवेदित होकर, म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, समाधान ऑन लाइन के तहत शिकायत प्राप्त हुई कि ग्राम फुटेर चक–2 की शासकीय भूमि खसरा नंबर 946/8 रकवा 4.477 हैक्टर में से रकवा 1.000 हैक्टर पर आवेदक द्वारा चरोखर एवं पक्का मकान बनाकर अतिकमण किया गया है, जिसे अतिकमण से मुक्त कराकर दोषी के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जावें। उक्त शिकायत के आधार पर तहसीलदार खरगापुर द्वारा प्रकरण कमांक 528/अ–86/2005–06 दर्ज किया जाकर, आवेदक के

विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता–1959 की धारा–248 के तहत कार्यवाही की जाकर, दिनांक 24–10–2006 को आवेदक के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित किया गया। आवेदक द्वारा तहसीलदार के आदेश का पालन न किये जाने पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण सिविल जेल की कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी, बल्देवगढ को प्रेषित किया गया। जिस पर से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्र.क. 1/अ–68/2010–11 पर दर्ज कर, आदेश दिनांक 22–1–2011 पारित कर आवेदक के विरूद्ध सिविल जेल की कार्यवाही की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक ने कलेक्टर टीकमगढ के समक्ष प्र0क0 55/निग./2010–11 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 7–2–2011 को निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त के समक्ष अपील पेश की जो प्र0क0 289 अ/68×2010–11 पर दर्ज की जाकर, आदेश दिनांक 23–2–2011 पारित कर निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक के विद्धान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि, आवेदक को आराजी कमांक 946 में से 30×45=2350 वर्गफुट का ग्राम पंचायत द्वारा भवन निर्माण हेतु भूमि स्वामी अधिकार की स्वीकृति का प्रमाण–पत्र दिनांक 3–9–1998 को आवेदक को प्रदान यिा गया था उक्त भूमि पर आवेदक का पक्का मकान बना हुआ है। उसके द्वारा भूमि पर लाखों रूपयें खर्च करके पक्का भवन बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायलय द्वारा दर्शाया गया है कि विवादित भूमि गौचर भूमि है जबकि उक्त भूमि आवादी की भूमि है। जिसे आवंटित करने का अधिकार ग्राम पंचायत को है। ग्राम पंचायत को किसी भी गांव के भवनहीन नागरिक को भवन हेतु भूमि आवंटित करने का अधिकार है। इस कारण ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–9–1998 सही होने से स्थिर रखे जाने योग्य है। अतं में उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

4– अनावेदक शासन की ओर से विद्धान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के ओदश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एंव प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि, आवेदक द्वारा शासकीय गौचर भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर तहसीलदार खरगापुर द्वारा आवेदक के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता–1959 की धारा–248 के तहत कार्यवाही कर बेदखली का आदेश पारित किया। आदेश का पालन न होने पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण एस.डी.ओ. बल्देवगढ को प्रेषित किया गया। एस.डी.ओ. द्वारा आवेदक के विरूद्ध दिनांक 22–1–2011 का गिरफतारी वारंट जारी किया गया किया। इस आदेश के विरूद्ध कलेक्टर के समक्ष निगरानी होने पर आदेश दिनांक 7–2–2011 को निरस्त हुई। कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के न्यायालय में अपील पेश की गई जो आदेश दिनांक 23–2–2011 को निरस्त की गई। प्रकरण में अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में विवादित भूमि शासकीय गोचर भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है, जिसका ग्राम पंचायत को पट्टा प्रदाय करने का कोई अधिकार नहीं है। न ही ग्राम पंचायत के द्वारा ले–आउट स्वीकृत कराया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। तथा अपर आयुक्त सागर, संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–2–2011 विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है। तत्पश्चात् प्रकरण समाप्त होकर दाखित रिकॉर्ड हो।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश, ग्वालियर